



राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान

मानद विश्वविद्यालय (डी-नोवो)
(आयुष मंत्रालय, भारत सरकार)
जोरावर सिंह गेट आमेर रोड जयपुर - 302002



क्रमांक: एफ16/रा.आ.सं.मा.वि.वि./सैद्धान्तिक परीक्षा/2022 /11645-56

दिनांक: 19.10.2022

20/10/22

परिपत्र

विश्वविद्यालय द्वारा सूचना का अधिकार (आर.टी.आई) अधिनियम-2005 के तहत छात्रों को स्वयं की उत्तर पुस्तिकाएँ दिखाये जाने के निर्णयानुसार सभी अभ्यर्थियों को उनकी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएँ अवलोकन कराने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में जारी आवश्यक दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं :-

INSTRUCTIONS/ GUIDELINES FOR THE CANDIDATES

छात्रों को उत्तर पुस्तिकाएँ दिखाये जाने संबंधित महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

(अभ्यर्थी को भाषारूपान्तरण में किसी भी प्रकार का संशय होने पर अंग्रेजी भाषा में दिये गये दिशा-निर्देश ही मान्य होंगे।)

The Application form to see answer-book(s) can be downloaded from the University website(www.nia.nic.in)

Separate form to be submitted for each answer-book.

छात्र को उत्तर पुस्तिका देखने संबंधित आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाईट (www.nia.nic.in) पर उपलब्ध है और प्रत्येक उत्तर पुस्तिका देखने के लिए पृथक से आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

Guidelines regarding showing of answer-books:-

- 1. A student shall be entitled to see his/her answer book(s) only on payment of a non-refundable fee of Rs.1000/- (Rs. One Thousand Only) per answer -book, in the presence of committee constituted by the Vice -Chancellor.**
छात्र को अपनी उत्तर पुस्तिका देखने के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 1000/- (एक हजार मात्र) जमा करवाने पर माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित कमेटी के समक्ष उत्तर पुस्तिका दिखायी जावेगी।
- 2. The application to the see answer- book will be received by the University within 15 days from the date on which the result declared by the University.**
छात्र को उत्तर पुस्तिका देखने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम के घोषित होने के 15 दिवस के अन्दर आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- 3. Form received by the University after the due date and found incomplete in any respect shall be liable to summary rejection.**
निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आवेदन तथा अपूर्ण आवेदनों को विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा।
- 4. No student will damage /destroy or take away the answer-book(s). In that case he/she will be punished as per unfair means rules of the University.**
उत्तर पुस्तिका अवलोकन के दौरान यदि छात्र द्वारा उत्तर पुस्तिका को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाया जाता है तो विश्वविद्यालय के अनुचित साधन के नियमों के अधीन कार्यवाही की जाएगी।
- 5. Time limit to see the answer-book will be maximum 20 minutes on the scheduled date and time decided by the University failing which claim will be rejected.**
छात्र को उत्तर पुस्तिका दिखाये जाने की अधिकतम सीमा 20 मिनट होगी। उत्तर पुस्तिका दिखाये जाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियत दिनांक व समय पर छात्र को उपस्थित होना होगा, उसके बाद उत्तर पुस्तिका नहीं दिखाई जाएगी।

6. Materials like pen, pencil, mobile, books, notes or any electronics device etc. will not be allowed, while the student is permitted to see his/her answer book.

उत्तर पुस्तिका अवलोकन के दौरान छात्र के पास पेन, पेंसिल, मोबाईल, किताब, नोट्स अथवा अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आदि ले जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

7. Admit card/Proof is required for identification before allowing students to see his/her answer book.

उत्तर पुस्तिका अवलोकन की स्वीकृति के पूर्व अभ्यर्थी को अपना परीक्षा प्रवेश-पत्र या महाविद्यालय द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8. Parents/Guardians/Advocate or any other person will not be allowed during the process of showing his/her answer book.

उत्तर पुस्तिका के अवलोकन के दौरान अभ्यर्थी के साथ माता-पिता/सरंक्षक/एडवोकेट आदि की उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी।

9. The photocopy of the answer book will not be issued to the students.

छात्र को उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति उपलब्ध नहीं करवायी जाएगी।

10. The student will be allowed to see his/her answer –book only once.

हर अभ्यर्थी को अपनी ही उत्तर पुस्तिका केवल एक बार ही दिखाई जाएगी।

11. Name of the evaluator will not be disclosed in any condition.

परीक्षक का नाम किसी भी शर्त पर नहीं बताया जाएगा।

संलग्न : आवेदन पत्र का प्रारूप।

संजीव शर्मा

(प्रोफेसर संजीव शर्मा)
कुलपति I/c

प्रतिलिपि : सूचनार्थ

1. प्रति उपकुलपति (Pro-Vice-chancellor)
2. कुलसचिव/उपकुलसचिव
3. समस्त विभागाध्यक्ष महानुभाव/समस्त डीन
4. परीक्षा नियंत्रक/उप-परीक्षा नियंत्रक(एके)(जीपी)/उपाध्यक्ष चिकित्सालय
5. संयुक्त निदेशक(प्रशासन)/संयुक्त कुलसचिव/केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष
6. प्रशासनिक अधिकारी एवं सहायक परीक्षा नियंत्रक
7. शैक्षणिक शाखा/गार्ड फाइल
8. आई.टी प्रभारी को दिशा-निर्देश एवं आवेदन फार्म की प्रति संलग्न कर देकर लेख है कि संस्थान की वेबसाईट की डेस्कटॉप पर स्थायी RTI आईकोन में छात्रों को उत्तर पुस्तिकाएँ दिखाये जाने संबंधित महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश एवं आवेदन फार्म को अपलोड करने का कष्ट करें।
9. सूचना पट्ट संस्थान, यूजी-पीजी छात्र-छात्रावास।

संजीव शर्मा

कुलपति

I/c